**न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–04 / विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट), गोण्डा।**

**उपस्थित–दानिश हसनैन, {एच0जे0एस0} आई.डी.नं0–यू0पी0–2727**

**दाण्डिक निगरानी संख्या–108 / 2025**

C.N.R No- UPGD-01000957-2025

सरदार देवेन्द्र सिंह आयु करीब 77 साल पुत्र स्वर्गीय शिव सिंह, निवासी ग्राम प्रीतम निवास मोहम्मदीपुर, थाना कैण्ट जिला गोरखपुर अध्यक्ष आचार्य नरेन्द्रदेव किसान शिक्षा समिति बभनान गोण्डा.....निगरानीकर्ता

प्रति

1–सरकार उत्तर प्रदेश,

2–अजीत कुमार पाण्डेय आयु 37 साल पुत्र स्वर्गीय विनोद कुमार पाण्डेय, निवासी करनपुर, थाना छपिया, जिला गोण्डा .....विपक्षीगण

वाद संख्या–2677 / 2024

सरदार देवेन्द्र सिंह प्रति अजीत कुमार पाण्डेय, थाना छपिया, जिला गोण्डा।

**''निर्णय''**

**1**–वर्तमान दाण्डिक निगरानी, न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि0), कक्ष संख्या–2, गोण्डा द्वारा वाद संख्या–2677 / 2024 सरदार देवेन्द्र सिंह प्रति अजीत कुमार पाण्डेय, थाना छपिया, जिला गोण्डा में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 16.01.2025 के विरूद्ध संस्थित की गयी है। उक्त प्रश्नगत आदेश से विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता का परिवाद अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 के तहत खारिज किया गया है।

**2**–निगरानी के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2025 सर्वथा विधि विरूद्ध अवैधानिक है। विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यो पर ध्यान न देकर विवादित आदेश पारित करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा तथ्यों व परिस्थितियों पर वगैर विचार किये हुए आदेश दिनांक 16.01.2025 पारित करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है। दिनांक 16.01.2025 को विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की बहस सुनी और पत्रावली आदेश हेतु रख ली गयी । बाद में प्रार्थी को अनुपस्थिति दिखाते हुए निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 निरस्त कर दिया गया है जो कानूनन व वाक्यातन गलत व त्रुटिपूर्ण है जो कतई कायम रहने योग्य नहीं है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 के



Digitally signed by DANISH HASNAIN
Date: 2026.03.18 14:35:43 AEST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अवलोकन से अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया अपराध बनना पाया जाता है फिर भी प्रार्थना पत्र निरस्त करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन से अभियुक्त द्वारा विद्यालय के अभिलेखो को मारूति कार को अपने अभिरक्षा में ले रखा है और घटना कारित किया है जिसे प्रथम दृष्टया अभियुक्त के विरूद्ध घटना कारित करना पाया जाता है, इसके बावजूद भी विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 निरस्त करने में कानूनन व वाक्यातन गलती की है। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार न करके आदेश पारित करने में भारी भूल की गयी है। उपरोक्त कथनो के आधार पर निगरानी स्वीकार कर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16.01.2025 निरस्त करके अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कराकर विवेचना कराये जाने का आदेश पारित किये जाने की याचना की गयी है।

**3**–निगरानीकर्ता द्वारा समर्थन में आक्षेपित आदेश दिनांकित 16.01.2025 की प्रमाणित प्रति, आधार कार्ड व शपथ पत्र एवं दस्तावेजी साक्ष्य सूची दिनांकित 07.11.2025 से एक किता छाया प्रति नकल रिट नं0–8594/2025, एक किता छाया प्रति आदेश कार्यालय डिप्टी रजिस्टार फमर्स सोसाइटीज एवं चिट्स अयोध्या मण्डल अयोध्या प्रस्तुत किया गया है।

**4**–विपक्षी संख्या–1 राज्य की ओर से विद्वान सहायक शासकीय फौजदारी द्वारा मौखिक रूप से आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्य के दृष्टिगत रखते हुए विधि सम्मत रूप से आदेश पारित किया गया है। आक्षेपित आदेश में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी निरस्त किया जावे।

**5**–विपक्षी संख्या–2 अजीत कुमार पाण्डेय द्वारा उक्त निगरानी के विरूद्ध अपनी आपत्ति 11ख प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी में दर्शित समस्त कथन असत्य व निराधार तथ्यों पर आधारित होने के नाते निगरानी कतई पोषणीय नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 में प्रथम दृष्टया कोई अपराध न बनने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 16.01.2025 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रथम दृष्टया कोई अपराध बनना नहीं पाया जाता है। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया है जो एक विधि सम्मत आदेश है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2025 एक विधि सम्मत आदेश है जिसमें किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। विद्वान विचारण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.01.2025 एक विधि सम्मत आदेश है और बदस्तूर कायम रखे जाने योग्य है। निगरानीकर्ता का कथन है कि विपक्षी सं0–2 एक विशेष समिति के सदस्य थे और उसी हैसियत से समिति में आते–जाते थे और अजीत कुमार पाण्डेय के चाचा विजय कुमार पाण्डेय समिति के सचिव थे इस वजह से समिति में आते–जाते थे। आने–जाने का अनुचित लाभ उठाकर समिति की बैठक पंजिका को अनाधिकृत रूप से उठा ले गये जिसमें समिति के बैठक की सारी कार्यवाहियॉ थी तथा समिति के मूल अभिलेख व आवश्यक कागजात उठा ले गये उक्त सभी कागजात को दिनांक 19.11.2018 को उठा ले गये। निगरानीकर्ता का कथन सरासर झूठा,

फर्जी व बनावटी तथ्यों पर आधारित है। वास्तविकता यह है कि निगरानीकर्ता देवेन्द्र सिंह का पैरोकार आपत्तिकर्ता से रंजिश रखता है और उसी रंजिश को निकालने की गरज से सरदार देवेन्द्र सिंह की ओर से विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था और अब सरदार देवेन्द्र सिंह की ओर से उपरोक्त निगरानी प्रस्तुत कर दिया है जबकि असल व्यक्ति सरदार देवेन्द्र सिंह कभी भी न तो विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत किया है और न ही सरदार देवेन्द्र सिंह निगरानी दायर करने कभी कचेहरी आये है, एक पैरोकार व्यक्ति जो आपत्तिकर्ता से रंजिश रखता है उसने फर्जी सरदार देवेन्द्र सिंह के नाम ग्राम से उक्त निगरानी प्रस्तुत किया है। सरदार देवेन्द्र सिंह कभी भी कचेहरी नहीं आये है और न ही उन्होने अपने जानकारी में उक्त निगरानी ही प्रस्तुत किया है। निगरानीकर्ता का समस्त कथन झूठा, फर्जी व बनावटी है। उपरोक्त कथनो के आधार पर निगरानी निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

**6**–निगरानी न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश किसी अशुद्धता, अविधिकता और निष्कर्ष की अनौचित्यता से ग्रसित तो नहीं है?

**7**– हस्तगत निगरानी को निर्णीत करने हेतु विधि व्यवस्था **अमित कपूर बनाम रमेश चन्दर तथा अन्य 2012(3) जे0ई0सी0 पृष्ट 772 सुप्रीम कोर्ट** दृष्टिगत रखना न्यायहित में समीचीन होगा, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विधि व्यवस्था दी गयी किः–

*–निगरानी न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक सीमित क्षेत्राधिकार है और इसका प्रयोग नैत्यिक तरीके से नहीं किया जाना चाहिए।*

*–न्यायालय को निगरानी क्षेत्राधिकार का प्रयोग उन परिस्थितियों एवं मामलो में करना चाहिए जहॉ परः–*

*–जिस निर्णय व आदेश को चुनौती दी गयी है वह बिल्कुल विधि के विपरीत है,*

*–विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विधिक प्राविधानो का पालन नहीं किया गया है और बिना किसी साक्ष्य के निष्कर्ष दिये गये है, तात्विक साक्ष्य को अनदेखा किया गया है तथा*

*–न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयेग मनमाने तरीके से या तर्को के विरूद्ध किया है।*

**8**– माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **अमित कपूर बनाम रमेश चन्द्र (2012) ए0सी0सी0 पेज–460 एवं जोहर बनाम मंगल प्रसाद ए0आई0आर0 उच्चतम न्यायालय पेज–1165** में यह उद्धृत किया गया है कि निगरानी न्यायालय साक्ष्यो के बारे में पुर्नमूल्यांकन नहीं करेगा, मात्र उसे कथित आदेश में अनियमितता अथवा अवैधानिकता होने सम्बन्धी तथ्यो पर विचार करना चाहिए।

**9**–परिवादी का वाद विचारण न्यायालय द्वारा परिवादी/निगरानीकर्ता के निरन्तर अनुपस्थित रहने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 निरस्त कर दिया गया। निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी मेमो में कथन किया गया है कि दिनांक 16.01.2025 को विचारण

न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता की बहस सुनी और पत्रावली आदेश हेतु रख ली गयी। बाद में प्रार्थी को अनुपस्थिति दिखाते हुए निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 निरस्त कर दिया गया है। मूल पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि निगरानीकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 31.08.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 प्रस्तुत किया गया, जिस पर विचारण न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गोण्डा द्वारा सुनवाई करते हुए प्रकीर्ण वाद के रूप में पंजीकृत किया गया और उक्त मामले में सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत करते हुए दिनांक 12.09.2024 की तिथि नियत किया गया। उक्त प्रकरण जरिए अन्तरण विचारण न्यायालय अपर सिविल जज (जू०डि0), कक्ष संख्या–2, गोण्डा को दिनांक 17.09.2024 को प्राप्त हुआ और पत्रावली में दिनांक 16.10.2024 सम्बन्धित थाने से आख्या आहूत हेतु नियत हुई। प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 22.10.2024 को सम्बन्धित थाने से आख्या विचारण न्यायालय में प्रेषित किया और प्रार्थना पत्र की सुनवाई हेतु दिनांक 28.10.2024, 05.11.2024, 11.11.2024 को आवेदक गैर हाजिर रहा, प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 14.11.2024 सुनवाई हेतु नियत हुई। विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक/निगरानीकर्ता को अन्तिम अवसर देते हुए वाद की सुनवाई में दिनांक 19.11.2024 की तिथि नियत की गयी। दिनांक 19.11.2024 को पक्षकार उपस्थित आये और प्रकरण में दिनांक 26.11.2024 की तिथि सुनवाई हेतु नियत हुई। उक्त तिथि पर भी विपक्षी उपस्थित आया और आवेदक/निगरानीकर्ता अनुपस्थित था, जिसमें दिनांक 03.12.2024 की तिथि सुनवाई हेतु नियत हुई। विचारण न्यायालय के समक्ष विपक्षी द्वारा दिनांक 12.12.2024 को उक्त प्रार्थना पत्र के विरूद्ध आपत्ति की गयी तथा निगरानीकर्ता के द्वारा मौका प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए बहस हेतु समय की याचना की गयी, जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकार करते हुए दिनांक 23.12.2024 की तिथि वास्ते बहस नियत की गयी। उक्त दिनांक 23.12.2024 को पीठासीन अधिकारी अवकाश पर थे, जिस कारण दिनांक 07.01.2025 की तिथि नियत हुई। दिनांक 07.01.2025 को पक्षकार अनुपस्थित रहे तथा विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को बहस हेतु पुनः अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 16.01.2025 की तिथि नियत की गयी। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 16.01.2025 को इस आशय का आदेश पारित किया गया कि *''पत्रावली पेश हुई। पुकार करायी गयी। उपस्थित कोई नहीं। पत्रवाली के अवलोकन से विदित है कि आदेवक/प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–173(4) बी0एन0एस0एस0 दिनांक 31.08.2024 को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, परन्तु उसके बाद प्रार्थी नियत पेशी पर स्वयं न्यायालय उपस्थित नहीं आया। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 12.12.2024 को प्रार्थना पत्र वास्ते मौका न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, परन्तु उसके बाद न तो परिवादी न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ और न ही उनके विद्वान अधिवक्ता प्रार्थना पत्र उपर्युक्त पर बल देने हेतु उपस्थित आये और न ही कोई मौका प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया। इसके अतिरिक्त विपक्षी द्वारा दिनांक 23.12.2024 को उपर्युक्त वाद में एक प्रार्थना पत्र वास्ते दिये जाने सुनवाई का अवसर व लाये जाने सही परिवादी समक्ष कोर्ट प्रस्तुत करते हुए याचना की है कि उपर्युक्त वाद में वादी मुकदमा को न्यायालय पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में थाने से आख्या प्राप्त है, परन्तु आवेदक के विगत पेशियों से उपस्थित न होने के कारण*

*प्रकरण को अनन्त काल तक निस्तारण हेतु लम्बित रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है।''*

**10**–विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 16.01.2025 के दृष्टान्त निगरानी पत्रावली के साथ संलग्न मूल पत्रावली में संलग्न आदेश पत्रक का परिशीलन किये जाने के पश्चात् स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित होता है कि निगरानीकर्ता पक्ष को विचारण न्यायालय द्वारा द्वारा दिनांक 28.10.2024 से दिनांक 16.01.2025 की समय अवधि में लगभग 10 बार बहस किये जाने हेतु मौक दिया गया, जिसमें से दो बार अन्तिम अवसर प्रदान किया गया। तत्पश्चात् दिनांक 16.01.2025 को विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त परिस्थिति में निगरानी न्यायालय के समक्ष निगरानीकर्ता पक्ष द्वारा यह तर्क दिया जाना कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता पक्ष को सुना नहीं गया अथवा उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी वाद को उसकी अनुपस्थिति में खारिज कर दिया गया, वर्तमान न्यायालय के समक्ष कोई बल नहीं पाता है।

**11**–अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 16.01.2025 में कोई अवैधानिकता एवं अशुद्धता परिलक्षित नहीं होती है। आलोच्य आदेश औचित्यपूर्ण है तथा पुनरीक्षण के क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर, विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किए जाने का कोई युक्ति–युक्त आधार नहीं है, तदनुसार दाण्डिक निगरानी बलहीन होने के कारण निरस्त होने योग्य है।

**<u>आदेश</u>**

**12**–दाण्डिक निगरानी संख्या–108/2025, सरदार देवेन्द्र सिंह प्रति सरकार आदि **निरस्त** किया जाता है।

**13**–विद्वान विचारण न्यायालय सिविल जज (जू०डि0), कक्ष सं0–2 गोण्डा द्वारा वाद संख्या–2677/2024 सरदार देवेन्द्र सिंह प्रति अजीत कुमार पाण्डेय, थाना छपिया, जिला गोण्डा में पारित प्रश्नगत आदेश दिनांकित 16.01.2025 पुष्ट किया जाता है।

**14**–पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

**(दानिश हसनैन)**
**दिनांक 09.03.2026** **अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–4/**
**विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),**
**गोण्डा।**
**J.O.Code UP 2727**

यह निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित होकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

**(दानिश हसनैन)**
**दिनांक 09.03.2026** **अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–4/**
**विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 एक्ट),**
**गोण्डा।**
**J.O.Code UP 2727**